>

Title : Need to enhance the honorarium given to Shiksha Mitra appointed in schools under Sarva Shiksha Abhiyan.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): देश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु 13वें वित्त आयोग ने 2010-11 से 2014-15 तक 24,068 करोड़ रूपया विनिर्दिष्ट किया है जिसका सीधा अर्थ है कि प्रारंभिक शिक्षा को आयोग ने प्राथमिकता की श्रेणी में रखा है।

दूसरी ओर, शिक्षण कार्य में जहां बड़े पैमाने पर अध्यापकों की आवश्यकता है, वहीं अध्यापन कार्य में लगे शिक्षा मित्रों की मानदेय मात्र 3500/- रूपए प्रतिमाह है और शिक्षा मित्रों को वर्ष में मात्र 11 माह ही मानदेय दिया जाता है। उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक भी नहीं माना जाता है जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्रों को बीटीसी के समकक्ष आधारभूत और पुर्नबोधनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त हैं।

कम मानदेय के कारण भरण-पोषण की समस्या के चलते शिक्षा मित्रों द्वारा अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग विभिन्न माध्यमों के जरिए होती रही है। यह तर्कसंगत है कि शिक्षा मित्रों को स्थायी सेवा प्रदान किया जाए अथवा प्रशिक्षित शिक्षक माना जाए।

ऐसी दशा में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए या उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक माना जाए या फिर अध्यापकों की भारी कमी को देखते हुए उन्हें स्थायी सेवा का अवसर प्रदान किया जाए।